

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 184 / 2018

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 गीतादेवी पत्नि नाथू तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ।

—प्रार्थीया

बनाम


- 1 छगना पिता मोडा लुहार निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ।
- 2 कालू पिता कल्याण तेली निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ।
- 3 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि की ग्राम धामनिया प.ह. धामनिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 75 की आराजी संख्या 228/1, 284 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रूपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावें तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


उत्साह चौधरी(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

